न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री नरेश बुनकर, आर.ए.एस.

पी.डी.आर. प्रकरण सं. — 1/2016

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
विकास अधिकारी,पंचायत समिति जसवंतपुरा		श्री होसाराम पुत्र सोमतीजी, चौधरी, निवासी ग्राम ऐलाना,(पूर्व सरपंच, ऐलाना), तहसील व जिला जालोर (मो.नं.9828460378)

अन्तर्गत धारा 4 लोक अभियाचन अधिनियम 1952

पक्षकारान् के अधिवक्तागणः—

1.श्री मोहम्मद साबिर, पंचायत प्रसार अधिकारी, कार्यालय विकास अधिकारी, पंचायत समिति सायला।

2.श्री रामसिंह चम्पावत ,अभिभाषक, अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय दिनांक 19.6.2018

1. यह प्रकरण श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय जालोर के न्यायालय से स्थानान्तरित होकर प्राप्त हुआ जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी विकास अधिकारी पंचायत समिति सायला ने धारा 3 के तहत् प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है, प्रमाणपत्र के अनुसार अप्रार्थी द्वारा सहायक निदेशक,स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग,राज जोधपुर के निरीक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2009—11 के पैरा सं.23 के अनुसार होंसाराम, पूर्व सरपंच,ग्राम पंचायत ऐलाना के सबंध में अकेक्षण प्रतिवेदन में आक्षेप सं.6 गठित किया गया है, होंसाराम पुत्र सोमतीजी, चौधरी, निवासी ग्राम ऐलाना(पूर्व सरपंच,ग्राम पंचायत ऐलाना)ने ग्राम पंचायत से वर्ष 2007—08 व 2008—09 के दौरान् राशि क्रमशः 583000/—, 278000/कुल 861000/—विभिन्न योजनाआं के निर्माण कार्यो पेटे अनियमित रूप से अग्रिम ली थी जिसका आदिनांक तक समायोजन नही करवाया तथा न ही मय ब्याज 18 प्रतिशत 13686/—के उक्त राशि वापिस जमा करवाई, इस प्रकार कुल राशि 874686 जमा नही करवाई गई है।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी की ओर से श्री मोहम्मद साबिर,पंचायत प्रसार अधिकारी, कार्यालय विकास अधिकारी,पंचायत समिति सायला उपस्थित। अप्रार्थी ने नोटिस लेने से इन्कार किया। अप्रार्थी की ओर से दिनांक 26.9.2017 को श्री रामसिंह चम्पावत व श्री सोहनलाल, वकील ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी वकील ने दिनांक 27.10.17 से दिनांक 10.4.18 तक कोई जवाब पेश नही किया।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।प्रार्थी के पैरोकार ने बताया कि अप्रार्थी श्री होसाराम,पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत ऐलाना को विभिन्न कार्यो के पेटे अनियमित रूप से अग्रिम दी गई राशि 874686/–का समायोजन नही करवाया है और न ही उक्त राशि पुनः पंचायत कोष में जमा करवाई है,इसका स्थानीय अंकेक्षण विभाग, जोधपुर द्वारा पैरा सं. 23 लिया हुआ है।उक्त राशि की वसूली के लिए सुनवाई हेतु यह प्रकरण पेश किया है। इसके विपरीत अप्रार्थी के वकील ने बताया कि श्री होसाराम, पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत ऐलाना मात्र साक्षर है, उक्त सरपंच को वाउचर पेटे प्रथम अग्रिम दी गई राशि का समायोजन नही कराने पर भी दूसरा वाउचर पेटे अग्रिम राशि दी गई है, इसी क्रम में राशि बिना समायोजन कराने पर भी अग्रिम राशि दी गई है, इससे साफ जाहिर है कि तत्कालीन ग्रामसेवक की भी मिलीभगत है। अतः तत्कालीन ग्रामसेवक से भी उक्त राशि वसूल की जावे।

4. प्रार्थी विकास अधिकारी पंचायत समिति सायला का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी द्वारा सहायक निदेशक,स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग,राज जोधपुर के निरीक्षण प्रतिवेदन 2009–11 के पैरा सं.23 के अनुसार होंसाराम, पूर्व सरपंच,ग्राम पंचायत ऐलाना के सबंध में अकेक्षण प्रतिवेदन में आक्षेप सं.6 गठित किया गया है। होंसाराम पुत्र सोमतीजी, चौधरी, निवासी ग्राम ऐलाना(पूर्व सरपंच,ग्राम पंचायत ऐलाना)ने ग्राम पंचायत से वर्ष 2007–08 व 2008–09 के दौरान् राशि क्रमशः 583000/– +278000/=कुल 861000/–विभिन्न योजनाओं के निर्माण कार्यो पेटे अनियमित रूप से अग्रिम ली थी जिसका आदिनांक तक समायोजन नही करवाया तथा न ही न ही उक्त राशि वापिस जमा करवाई है। राशि 13686 के बारे में स्पष्ट करने पर प्रार्थी पैरोकार ने बताया कि 861000 के अलावा राशि 13686/–ब्याज की न होकर विभिन्न योजनाओं के निर्माण कार्यो पेटे अनियमित रूप से अग्रिम ली थी जिसका आदिनांक तक समायोजन नही करवाया तथा न ही न ही उक्त राशि वापिस जमा करवाई है। इस प्रकार कुल राशि 874686 राशि जमा नही करवाई गई है। कार्यालय जिला परिषद् जालोर के पत्रांक 11952 दिनांक 19.12.2014 व पत्रांक 5154 दिनांक 29.9.2015 जो विकास अधिकारी पंचायत समिति सायला को लिखा गया हैं जिसमें राशि 13686/– का विवरण निम्न प्रकार दिया गया है:–

क्रम सं.	कार्य का नाम	अनियमित राशि
1	खारडा हनुमानजी से बोरला ग्रेवल सडक निर्माण कार्य नाडा होते हुए गोगामाड तक	4184
2	गेगाजी के थान से दलाराम मेघवाल के बेरे तक	3683
3	ग्रेवल भूरजी के बेरे से गरना वाला होते हुए कांकी सरहद तक	3332
4	ग्रेवल सडक निर्माण मैन रोड से केशवना सरहद तक एवं शमशान घाट से अरटिया तक	2487
	योग	13686

विकास अधिकारी, पंचायत समिति सायला ने भी पत्र क्रमांक/पंससा/ विधि/ 2017/1810 दिनांक 25.9.2017 से बताया कि राशि 13686/– भी श्री होसाराम पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत ऐलाना द्वारा अग्रिम प्राप्त की गई राशि है, न कि 861000/– की 18 प्रतिशत ब्याज राशि। इस प्रकार अंक़ेक्षण प्रतिवेदन अनुसार /विभिन्न कार्यो के पेटे अनियमित रूप से प्राप्त की गई अग्रिम राशि 583000 + 278000 + 13686/–कुल राशि 874686/–अप्रार्थी से मय ब्याज के वसूली योग्य है। अतः अप्रार्थी से उक्त राशि रूपये 874686/–अक्षरे आठ लाख चौहतर हजार छः सौ छियासी रूपये मय 13 प्रतिशत ब्याज (वर्ष 2009 से) तथा 10 प्रतिशत वसूली खर्चा वसूल करने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार वसूली प्रमाण पत्र जारी हो।

Sd.
(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

आज दिनांक 19.6.2018 को निर्णय खुले न्यायालय में पढकर सुनाया गया।

Sd.
(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
OFFICE OF THE ADDL. DISTT.COLLECTOR,JALORE
FORM NO-2
Certificate of Public Demand
(See Section-4)

No of Certificate	Name &address of authority sending requisition	Name & address of defaulter	Amount of public Demand including interest if any for which this certificate is signed & period for which such demand is due (and coststs,if any)	Further particulars of the public demand for which this certificate is signed
1	2	3	4	5
1/2016	विकास अधिकारी, पंचायत –समिति सायला	श्री होसाराम पुत्र सोमतीजी, चौधरी,निवासी ऐलाना (पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत ऐलाना) तहसील व जिला जालोर	874686/–मय 13 प्रतिशत ब्याज वर्ष 2009से एवं 10 प्रतिशत वसूली खर्चा	स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग,राज जोधपुर के निरीक्षण प्रतिवेदन 2009–10,2010–11 विभिन्न योजनाओं के निर्माण कार्यो पेटे अग्रिम ली गई राशि 874686/–की वसूली

I hereby certify that the above mentioned sum of Rs 874686/-is due from the above named.

I further certify that the above mentioned sum Rs. 874686/- is justly recoverable & that its recovery by suit is not barred by law.

Date 19-6-2018

S.d.
Addl. Distt. Collector,
Jalore